

फर्ट अडेकाम

बनाम

हललुल्लाह मीर मालाराम

17.5/2005

दिनांक आशा या कांदावाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------------	--------------------	-------------

पत्रावली पेश हूँ। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड होल्डर लक्ष्मीलदर कोटपुतली की ओर से प्रोकार सरकार (नाथ लक्ष्मीलदर कोटपुतली) ने उपस्थित होकर प्रथमतः प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंक जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उन्वानी छोटे एवं अन्य बानाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी से सम्बन्धित मू-आवटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 को छाया प्रति आदि रिपोर्ट दस्तावेजों पेश किये।

इसने प्रोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिपोर्ट शाहदत का अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर रेस्पॉन्डन्स को मू-आवटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि प्रयोजनार्था आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटि मू-आवटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकार सरकार ने उक्त विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डन्स के हक में किया गया अलाटमेंट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंक जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं. 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन आवटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही मन्सूख हो गया है तो प्रथमतः प्रकरण में किसी प्रकार की अभिम कांदावाही की जाने का कोई आधिक्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखस्त स्वीकार की जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाना दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को सहे इजलास सुनाया गया है।

(Handwritten signature)

ऑफिसियल स्टाम्प

23.11.16